2019/0002

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी: श्री वासुदेव मालावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04 / 2019 (अपील)

उनवान

जाकिर पुत्र सुबराती जाति मुसलमान निवासी आवां तहसील सांगोद जिला कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. सरकार जर्ये क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास, तहसील कनवास, जिला कोटा
2. सहायक वन संरक्षक, कोटा

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री इरफाक मोहम्मद (अभिभाषक अपीलाण्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
बनाराजगी निर्णय दिनांक 07.11.2012 सिविल नम्बर 15 / 2012
न्यायालय सहायक वन संरक्षक, कोटा, जिला कोटा

निर्णय दिनांक : 30.07.2019

1. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र के साथ संशोध में इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून एंव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एंव साक्ष्यों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुऐ। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल तलब की गई।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक का लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील बहस में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया है और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र क्षेत्रीय वन अधिकारी, कनवास की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर नाका आवां अधीन वनखण्ड लाडपुरा ग्राम लाडपुरा के खसरा नम्बर 97 की 0.48 हैक्टेयर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त

फरमाया जावे। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की ओर से न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.डी. सित. 2001 पेज 401 प्रस्तुत किया गया। जिसका भी अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट अप्रार्थी का बहस अपील में कथन है कि " अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जाकर उक्त विवादित निर्णय पारित किया हैं और अपीलाण्ट को किसी प्रकार का कोई साक्ष्य, सबूत व जवाब पेश करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है, और अपीलाण्ट की अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र क्षैत्रीय वन अधिकारी, कनवास की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर नाका आवां अधीन वनखण्ड लाडपुरा ग्राम लाडपुरा के खसरा नम्बर 97 की 0.48 हैक्टयर भूमि पर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुऐ निर्णय जेर अपील विधि विरूद्ध रूप से पारित किया गया है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर से अपना कब्जा छोड दिया है, और तावान की राशि जमा करवा दी है।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलाण्ट ने विगत कई वर्षो से वन भूमि पर अतिक्रमण कर पत्थर की काउण्ड्री किया जाना प्रकट है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय अनुसार अपीलाण्ट को कई बार तलबी करने बावजूद अप्रार्थी अपीलाण्ट अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर जेर अपील निर्णय पारित किया गया है, अपीलाण्ट का कथन है कि मौके पर उसका कोई कब्जा नहीं रहा है, अतः अपीलाण्ट के उक्त कथन एंव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जेर अपील तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुऐ अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट अप्रार्थी को वाके नाका आवां अधीन वनखण्ड लाडपुरा ग्राम लाडपुरा के खसरा नम्बर 97 की 0.48 हैक्टयर पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के आरोप में दिये गये सिविल कारावास की सजा के आदेश को दो माह के लिऐ इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि एक माह के अन्दर अपीलाण्ट अप्रार्थी स्वंय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर इस बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उपरोक्त अतिक्रमित आराजी से वास्तविक रूप से मौके से कब्जा हटा लिया गया है, एंव भविष्य में पुनः अतिक्रमण नहीं करेगा। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाण्ट अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र की मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने की पुष्टि उक्त शपथ पत्र प्रस्तुति की दिनांक से एक माह के अन्दर करावें। अपीलाण्ट अप्रार्थी का उपरोक्त अतिक्रमित आराजी पर से मौके पर से वास्तविक रूप से कब्जा हटा लेने बाबत प्रस्तुत उक्त शपथ पत्र पुष्टि में सही प्रमाणित पाये जाने पर निर्णय जेर अपील से अपीलाण्ट अप्रार्थी को दी गई सजा निरस्त होगी, अन्यथा अपीलाण्ट अप्रार्थी को उक्त शर्त के उल्लघंन पर इस निर्णय की दिनांक से दो माह के लिऐ स्थगित की गई सिविल कारावास की सजा का आदेश पुनः प्रभावी होगा। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली में आदेशिका लिखते हुऐ विधि के अनुरूप नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लावें। अधीनस्थ न्यायालय का शेष आदेश यथावत रहेगा।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तबगील दाखिल दफ्तर की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वासुदेव मालावावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा